न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास बइजलास अम्बालाल मीणा (आर.ए.एस.)

प्रकरण : 142 / 2014

मूलचंद आ0 छोगालाल जाति गूर्जर निवासी ग्राम काल्याकुई तहसील कनवास जिला कोटा (राज0)

— प्रार्थी

—बनाम—

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास
2. वन विभाग जर्ये वन मण्डल अधिकारी कार्यालय रेज कनवास तह0 कनवास ।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 आरटीएक्ट व धारा 151 जाप्ता दीवानी

निर्णय दिनॉक :— 25/2/14

प्रार्थीगण को आरे से प्रार्थना अर्न्तगत धारा 212 आरटीएक्ट व धारा 151 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत कर अवगत करवाया कि प्रार्थी ने दिनांक 3.5.79 को श्री हरदेव बख्श से उसके खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम किशोर सागर तहसील सांगोद जिला कोटा राज0 में स्थित ख.न. 118/356 की रकबा 10 बीघा आराजी 5000रू0 मे खरीदी थी तथा उक्त आराजी के विक्रय विलेख का पजीयन भी उपपंजीयक कार्यालय सांगोद मे निर्णय दिनांक 3.5.1979 को करवाया था जो की पुस्तक सं01 की जिल्द सं 21 के कम सं.130 की पृष्ट सं. 289—290 पर दर्ज रेकार्ड है। ख.न. 118/356 की 10 बीघा आराजी के बने नये ख.न. 739 की रकबा 1.58 है0 आराजी रिकार्ड में सिंचायचक दर्ज होने से अप्रार्थी क.न. 1 ने प्रार्थी के विरूद्व अतिक्रमी मानते हुऐ धारा 91 ले0रे0एक्ट की कार्यवाही खोल दी है तथा प्रार्थी को धारा 91 ले0रे0एक्ट का नोटिस भी जारी किया हुआ है। अप्रार्थी क0स0 1 प्रार्थी को उक्त कार्यवाही की आड में उक्त विवादित आराजी ख.न. 118/356 की 10 बीघा जिसके नये ख.न. 739 की रकबा 1.58 है0 पर से अतिक्रमी बताकर बेदखल करने पर आमदा है अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी को विवादित आराजी से बेदखल न करे एवं ना ही उक्त आराजी को किसी अन्य व्यक्ति व संस्था या विभाग के नाम खाते दर्ज करे ।

प्रार्थना दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी की गई । अप्रार्थी क02 क्षैत्रीय वन अधिकारी कनवास द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत करते हुऐ अवगत करवाया कि

कार्यालय उप जिला कलेक्टर कनवास, जिला कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कनवास (जिला कोटा (राज0)

ग्राम किशोर सागर तह0 कनवास कि ख.न. 118/356 रकबा 10 बीधा भूमि राजस्व रेकार्ड अनुसार वन भूमि नही होकर सिवायचक दर्ज है परन्तु उक्त भूमि वन विभाग की जि.सी.टी. अनुसार वनखण्ड बर्ड कालाजी किशोर सागर की सीमा से लगभग 50 कि दूरी पर स्थित है तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय कि रिट पीटीसन कि कमांक 205/95 टी.एन.गोद रमन बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया मे यह निर्देशित किया गया है कि वन क्षैत्र मे गैर वानिकि कार्य प्रतिबन्धित है तथा वनखण्ड बर्ड कालाजी किशोरसागर आरक्षित वन धोषित है तथा इसकी सीमा सें 100 मीटर दूरी तक गैर वानकी कार्य प्रतिबन्धित है।

बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई । वकील प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुऐ अवगत करवाया कि माल ग्राम किशोर सागर तहसील सांगोद जिला कोटा राज0 में स्थित ख.न. 118/356 की रकबा 10 बीधा आराजी 5000रू0 मे खरीदी थी तथा उक्त आराजी के विक्रय विलेख का पजीयन भी उपपंजीयक कार्यालय सांगोद मे निर्णय दिनांक 3.5.1979 को करवाया था जो की पुस्तक सं01 की जिल्द सं 21 के कम सं.130 की पृष्ट सं. 289–290 पर दर्ज रेकार्ड है। ख.न. 118/356 की 10 बीधा आराजी के बने नये ख.न. 739 की रकबा 1.58 है0 आराजी रिकार्ड में सिवायचक दर्ज होने से अप्रार्थी क.न. 1 ने प्रार्थी के विरूद्व अतिक्रमी मानते हुऐ धारा 91 ले0रे0एक्ट की कार्यवाही खोल दी है तथा प्रार्थी को धारा 91 ले0रे0एक्ट का नोटिस भी जारी किया हुआ है। अप्रार्थी क0स0 1 प्रार्थी को उक्त कार्यवाही की आड में उक्त विवादित आराजी ख.न. 118/356 की 10 बीधा जिसके नये ख.न. 739 की रकबा 1.58 है0 पर से अतिक्रमी बताकर बेदखल करने पर आमदा है अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी को विवादित आराजी से बेदखल न करे एवं ना ही उक्त आराजी को किसी अन्य व्यक्ति व संस्था या विभाग के नाम खाते दर्ज करे ।

हमने बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन कि जमाबंदी सम्वत् 2039–42 में मूलचन्द आ0छोगालाज जाति गूर्जर निवासी काल्याकुई से दर्ज रेकार्ड है। जमाबंदी सम्वत् 2063–66 में मूलचन्द आ0 छोगालाल जाति गूर्जर निवासी काल्याकुई दर्ज रेकार्ड है किन्तु उक्त जमाबंदी पर यह भी नोट अंकित है कि श्रीमान भूप्रबन्धक आयुक्त महोदय जयपुर के आदेश कमांक 1511 दिनांक 28.5.2003 से खाता हाजा में दर्ज ख.न. 118/356 रकबा 10 बीधा से बने रकबा 1.62 है.मिसल बन्दोबस्त 172 सिवायचक में शामिल किया गया क्योकी उक्त ख.न. में बेशी आंवटन होने से बदरे का प्रस्ताव राजस्व विभाग क्षरा नही करने से यह मिसल बन्दोबस्त में इन्द्राज किया गया।

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि उक्त भूमि बेशी आंवटन होने से से बदरे का प्रस्ताव राजस्व विभाग क्षरा नही करने से यह मिसल बन्दोबस्त में इन्द्राज किया गया। वर्तमान मे भी विवादित भूमि सिवायचक दर्ज है। अतः प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र मूल वाद के साथ संलग्न हो ।

कार्यालय उप जिला कलेक्टर कनवास, जिला कोटा

अम्बालाल मीणा (आ0रे0एस0)
उपखण्ड अधिकारी कनवास

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)